दिनांक: 02-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर पुलिस द्वारा युवक से लूट कर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी को किया गया गिरफ्तार , कब्जे से मृतक से लूटे गये 6000/- रुपये बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2024 को वादी उ0नि0 कृष्णवीर सिंह ने एक लिखित तहरीर बाबत थाना गागलहेड़ी क्षेत्रान्तरग्त ग्राम पाली के निकट जंगल में गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवक का शव मिलने के संबंध में थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0सं0- 82/2024 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात मृत युवक के शव की पहचान शिवकुमार उर्फ शिब्बू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सम्भलहेडी जनपद सहारनपुर के रूप में रुप में हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ,द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त व हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीध्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलेहड़ी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त **राजेश पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को** हरौडा कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 6000/- रुपये बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 392/411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त राजेश उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ और घरो व दुकानों में टाईल पत्थर लगाने का कार्य करता हूँ। मृतक शिवकुमार उर्फ शिब्बू मेरा पडोसी था और वह हरियाणा में गन्ना क्रशर पर मजदूरी करता था। हम दोनो अक्सर एक साथ शराब पिया करते थे। दिनांक 13.05.2024 को शाम लगभग 9 बजे मैं शराब पीकर राणा स्टील पर एक कोल्डड्रिकं की दुकान के सामने स्लेप पर बैठा हुआ था,तभी वहाँ पर शिवकुमार भी आ गया और उसने भी काफी शराब पी रखी थी। मैंने देखा की उसकी जेब में बहुत सारे रुपये हैं जिन्हें देखकर मेंरे मन में लालच आ गया। तभी हम दोनो राणा स्टील से कैलाशपुर के लिये टैम्पो में बैठ कर कैलाशपुर आ गये । कैलाशपुर से हमने दूसरा टेम्पो 200/- रु0 में पाल्ली तक तय किया । पाल्ली पहुँचने के बाद हम दोनो पैदल- पैदल साथ चल दिये तभी रास्ते में ग्राम पाल्ली के जंगल में सुनसान जगह पर गन्ने के खेत के पास पहुँचने पर मैंने शिव कुमार से रुपये लूटने की नीयत से उसे धक्का देकर खेत में गिरा दिया और अपने लोवर का नाडा निकालकर उसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और उसकी जेब में रखे 16700/- रुपये निकालकर भाग गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

राजेश पुत्र कुशलपाल निवासी ग्राम सम्भलहेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- लूटे गये 6000/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
3.उ0नि0 श्री जावेद खान प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर
4.उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6.उ0नि0 (यूटी) डैनी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7.उ0नि0 (यूटी) कृष्ण कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8.है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9.का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
10.है0का0 अमरदीप स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
11.है0का0 सचिन कौशिक स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
12.का0 गौरव राठी स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
13.चालक अनिल खोखर स्वाट टीम जनपद सहारनपुर
14.है0का0 सोनू शर्मा, है0का0 मोहित कुमार, है0का0 आकाश नेहरा सर्विलांस सैल जनपद सहारनपुर

दिनांक: **02-06-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 गुमशुदा नाबालिग बच्चो को सकुशल बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.06.24 को शिवचरण पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नन्हेडा कलां थाना बडगांव जिला सहारनपुर ने थाना बडगांव पर आकर सूचना दी कि उसका पुत्र सावन उम्र करीब 13 वर्ष दिनांक 01.06.2024 को समय करीब 15.00 बजे घर से बिना बताये कही चला गया है जिसको काफी तलाश किया नही मिला है , जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए गुमशुदा की तलाश हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा बच्चो की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2024 को 03 नाबालिक बच्चो **1- सावन पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम नन्हेडा कला थाना बडगांव जिला सहारनपुर उम्र करीब 13 वर्ष 2- नैतिक पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 10 वर्ष तथा 3- प्रिन्स पुत्र कुलदीप निवासी कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 11 वर्ष** को एक साथ सकुशल बरामद कर लिया गया है जिनको सकुशल उनके परिजनो को सुपुर्द किया। अपने बच्चो को सकुशल पाकर परिजन खुश दिखे और पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि–भूरि प्रशंसा की।

बरामद बच्चो का नाम पताः-

1- सावन पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम नन्हेडा कला थाना बडगांव जिला सहारनपुर उम्र करीब 13 वर्ष
2- नैतिक पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 10 वर्ष
3- प्रिन्स पुत्र कुलदीप निवासी कुलसठ थाना देवबन्द जिला सहारनपुर उम्र करीब 11 वर्ष

बरामद करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1- उ0नि0 बिजेन्द्र शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2- कां0 2378 सन्नी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3- कां0 2545 सोनू थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4- हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांकः **02-06-2024**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2024 को थाना देवबंद पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 81/24 धारा 147/148/307/504 भादवि में वांछित अभियुक्तगण **मुफीद व मुसफिर पुत्रगण तौसीफ निवासीगण ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** तथा मु0अ0सं0- 80/24 धारा 307/504 भादवि में वांछित अभियुक्तगण **शहबुल पुत्रगण कलीम निवासीगण ग्राम थीतकी थाना देवबन्द सहारनपुर** को ग्राम थीतकी से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. मुशफिर पुत्र तौसीफ निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. मुफीद पुत्र तैसीफ निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. सुहैल पुत्र कलीम निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. शहबुल पुत्र कलीम निवासी ग्राम थीतकी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 इन्द्रेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का0471 अकबर अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1646 दीपक कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
5. का0 2096 गौरव थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 फावड़ा व 01 डण्डा बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.05.2024 को वादी श्री अमजद पुत्र श्री मुशर्रफ निवासी ग्राम मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के परिवारजन के साथ जान से मारने की नियत से धारदार हथियार, लाठी व डन्डो से मारपीट करना, व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 133/24 धारा 323/325/307/506 भादवि बनाम 1.इसरत पुत्र शेरा 2.फरमान पुत्र इसरत 3.रहमान पुत्र इसरत निवासीगण मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण इशरत पुत्र शेर मौहम्मद निवासी ग्राम मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर को 01 फावड़े के साथ तथा अभियुक्त रहमान पुत्र इशरत निवासीगण ग्राम मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर को 01 डण्डे के साथ ग्राम मल्हा माजरा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. इशरत पुत्र शेर मौहम्मद निवासी ग्राम मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. रहमान पुत्र इशरत निवासी ग्राम मल्हा माजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 फावडा (अभियुक्त इशरत उपरोक्त से बरामद)
- 01 डण्डा (अभियुक्त रहमान उपरोक्त से बरामद)

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिहं थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 482 बलराम पंवार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला 25000/- रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.10.2023 को वादिया द्वारा माननीय न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र बावत वादिया के घर पर रह रही अनाथ लडकी उम्र करीब 17 वर्ष को अभियुक्त मनजीत पुत्र महेशपाल उर्फ राजेन्द्र निवासी पुलिस चौकी मानकमऊ के पीछे रुपडी रोड थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 303/23 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये एवं वांछित अभियुक्त पर 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित व ईनामी अभियुक्त **अमरजीत उर्फ मनजीत उर्फ काला पुत्र मेषपाल उर्फ महेशपाल उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल पता किराएदार ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र 30 वर्ष** को भाऊपुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमरजीत उर्फ मनजीत उर्फ काला पुत्र मेषपाल उर्फ महेशपाल उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम सहजवी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल पता किराएदार ग्राम भाऊपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष कुमार, थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 388 कपिल तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 02-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता को किया सुकशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2024 को वादी द्वारा थाने पर तहरीर दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त आदित्य पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 363 भादवि बनाम आदित्य उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी एवं बरामदी हेतु दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.06.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **आदित्य पुत्र पप्पू नि0 ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को छुटमलपुर बस स्टैन्ड से गिरफ्तार किया गया एवं अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। तथा विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व ¾ पाक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदित्य पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जीवाला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. महिला आरक्षी 1072 रेनू थाना फतेहपुर सहारनपुर

दिनांक: 02-06-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये सामान के 2800 रूपये व 01 नाजायज चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2024 को वादी श्री शाहबाज खान पुत्र सज्जाद खान निवासी बाबूराम कॉलोनी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वयं के घर में अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 28/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त **आजम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी हाजी नजिर के कारखाने के पास नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के **कब्जे से 01 नाजायज चाकू तथा मुकदमा उपरोक्त में चोरी किये गये सामान को बेचकर प्राप्त किये गये रूपयों में से 2800 रूपये** बरामद हुए। बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 आजम उपरोक्त द्वारा बताया कि मै नशा करने का आदी हुँ कभी कभी चोरी करके सामान बेचकर अपना खर्चा चला लेता हूँ, मैने बाबूराम कालौनी से जो सामान चोरी किया था उन्हे मैने पुलिस के पकडे जाने के डर से किसी फेरी वाले को बेच दिया था जो पैसे मिले थे उनमे से कुछ मैने अपने खाने पीने मे खर्च कर दिये तथा जो पैसे बचे थे वह आज आपने मुझसे बराममद कर लिये है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

आजम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी हाजी नजिर के कारखाने के पास नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 2800/- रूपये नगद
- 01 अवैध नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजब सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 138 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 02-06-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साईकिल, 24 बोतल अवैध शराब व चोरी के 600/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पशु पैठ चौराहा से नकुड़ रोड़ की तरफ जाने वाली सड़क के पास से अभियुक्तगण **सावन पुत्र करण निवासी मौ0 टाकांन निकट गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र करीब 26 वर्ष तथा रवि पुत्र कंवरपाल निवासी मौहल्ला टाकान बारावाला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र 23 वर्ष** को आज दिनांक 02.06.2024 को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल तथा 24 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा अभियुक्त सावन से चोरी के 600 रूपये बरामद हुए। अभियुक्तगणो के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 209/24 धारा 411/414 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सावन उपरोक्त से बरामद पैसे चोरी होने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर पूर्व में मु0अ0सं0- 96/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत है। जिसमें बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग काफी समय से कस्बा गंगोह व आस पास के क्षेत्र मे मोटर साईकिल चोरी करते है और सस्ते दामो में लोगो को बेच देते है और जो पैसा बेचने से मिलता है उसे हम आपस मे दोनो बराबर बाटं लेते है। इन पैसो से हम अपना शौकं पूरा करते है । इस मोटर साईकिल को भी हम बेचने की फिराक में थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। हम लोग हरियाणा से सस्ते दामो पर शराब लाकर यहाँ बेचते है जो मुनाफा मिलता है उसमे भी हम दोनो आपस मे बराबर बाँटकर अपना शौक पूरा करते है। अभियुक्त सावन से बरामद 600 रूपये के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो बताया कि मार्च के महीने मे चार तारीख को इण्डियन ओवरसिज बैंक के सामने से चोरी के इरादे से किसी व्यक्ति की तलाश मे था तभी मुझे आता हुआ एक व्यक्ति दिखा जिसके हाथ में थैला था जिसमे मुझे पैसे लग रहे थे । मैने पीछे से उसका थैला ब्लैड से काटकर चोरी कर लिया था । वे पैसे मैने अलग जाकर गिने तो 35000/-रु0 मिले थे जिनमे से 34400/-रु0 अपनी मौज मस्ती व नशे मे खर्च कर दिये थे ये 600 रूपये वही पैसे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सावन पुत्र करण निवासी मौ0 टाकांन निकट गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह स0पुर उम्र करीब 26 वर्ष
2. रवि पुत्र कंवरपाल निवासी मौहल्ला टाकान बारावाला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- स्पलैण्डर मोटर साईकिल रजि0 नं0 UP 11 Z 8540 चैसिस नम्बर MBLHA10EJ9HJ51363 व इन्जन नं0-HA10EA9HJA5230
- 24 बोतल हरियाणा मार्का देशी शराब माल्टा

- चोरी के 600/-रु0 बरामद

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त सावनः-</u>

(1) मु0अ0सं0- 393/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 389/15 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414/420/468/471 भा.द.वि चालानी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

(3) मु0अ0सं0- 44/19 धारा 392/411 भा.द.वि चालानी थाना सैलाकुई जनपद देहरादून

(**4**) मु0अ0सं0- 96/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(5) मु0अ0सं0- 209/24 धारा 411/414 भा.द.वि व 60/63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री सन्दीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 02.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 28.05.05.24को वादी रमेश कुमार यादव पुत्र राय यादव निवासी नवीननगर थाना सदर बाजार सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात युवक द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर लेने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 303/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितिय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर **1.अभिषेक पुत्र मनोज कुमार निवासी प्रेमनगर दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर हाल पता ग्राम मनोहर पुर थाना सदर बाजार सहारनपु** को काशीराम बस अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी की मोटरसाइकिल **(UP 11 Y 6510)** बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त ने बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। अक्सर मुझे पैसो की तंगी रहती है और मैं नशा करने का भी आदि हूँ। जो मोटरसाइकिल पुलिस ने मुझसे बरामद की है उसे मैंने जैन डिग्री कॉलेज के पास से चोरी किया था। आज जब मैं चोरी की मोटरसाइकल बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक पुत्र मनोज कुमार निवासी प्रेमनगर दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर हाल पता ग्राम मनोहर पुर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 324/023 धारा 380/411/456 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 303/24 धारा 379 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 चोरी की मोटरसाईकिल **(UP 11 Y 6510)**।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री शशांक गिरि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2. है0का0 232 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 1815 विशाल थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर